



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-282/2021 दिनांक 12.10.2021)

दिनांक- 12.10.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

चोरी की दो अदद मोटर साइकिल व तमंचा के साथ दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार-

आज दिनांक 12.10.2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम दुदही मार्ग परसौना पुल रेलवे क्रासिंग पड़रौना से दो अभियुक्तों के पास से चोरी की दो अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो नं0 UP54 L 3186 व एचफ डिलक्स विना नम्बर की, एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 439/21 व 441/21 धारा 379, 411,413 भादवि व मु0अ0सं0 442/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 443/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. पैशन प्रो नं0 UP 54 L 3186 चेचिस नं0 MBLHA10EWBGE47950 इंजन नं0 HA10EDBGE02499
2. एचफ डिलक्स बिना नम्बर का चेचिस नं0 MBLHA11ATG9A25363 इंजन नं0 HA11EJG9A25363
3. अभियुक्तगणों के पास से एक अदद अवैध देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. देवेन्द्र कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह सा0 छावनी शिवसागर कालोनी थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
2. बड़डू पुत्र निजामुद्दीन सा0 भटनी थाना महुआडीह जनपद देवरिया ।

आपराधिक इतिहास-अभि0 देवेन्द्र सिंह

1. मु0अ0सं0 02/21 धारा 60 Ex Act थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 122/21 धारा 379 भादवि थाना हाटा कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 268/20 धारा 379,411 भादवि थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 545/17 धारा 60 Ex Act थाना को0 पड़रौना कुशीनगर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
2. का0 रणजीत यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
3. का0 गिरीश कुमार थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
4. का0 संदीप यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी-(01)

थाना अहिरौली बाजार-

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी फूलबदन प्रसाद पुत्र ज्ञान प्रसाद साकिन मोहनपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर उम्र करीब 63 को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 092/2021 धारा 376,354ए, 323,504,506 भादवि व ¾ व 7/8 पाक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 19 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-202 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-34, व्यक्ति-115
3. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
4. वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी-(01)
5. जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-22)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर